न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 75 / 2018

बउनवान

विनोद आयु 23 साल पुत्र श्री रणजीत, जाति मीणा, निवासी बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 28.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 16.02.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बालून्दा तहसील–मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1.60 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 2560 /– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं दिया गया हैं। पत्रावली में बेदखलीनामा एंव पैमाइश रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु निश्चित किया।

दौरान बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 02/2017 निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 211, रकबा 1.60 है. किस्म–चारागाह ग्राम बालून्दा पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 02/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति रसीद संख्या 36/034351 एवं 21/034352 से भी प्रमाणित है। छायाप्रतियां रसीदात से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पांच फसलों का आरोपित जुर्माना एवं फसल नीलामी सजायाब होने के पश्चात अदा किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोलं द्वारा प्रकरण संख्या 09/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.202[illegible] [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)